

5/1/24  
पत्रावली पेश हुई। क्यूलाय छप।  
P.O. साहब मुनाब काय में धरब  
होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक 20/5/24 को पेश हो।

20/5 पत्रावली पूर्व। गमिनापक संघ ने  
आज उदराली काय का स्थगन कर  
दिया है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक 19/6/24 को पेश हो।

19/6/2024 वकील प्रार्थी उपस्थित। अदालत कुनी जम  
वाले आदेश पत्रावली दिनांक 27/6/2024  
को पेश हो।

27/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।  
अदालत पूर्व में कुनी जा चुकी है। पत्रावली  
एवं रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाधाना का  
अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा हजामत  
पुत्र नरसा से गरिमे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र  
श्रीमि क्रम की गई थी। क्रम की गई श्रीमिका  
गामान्तकरण एवं जमाबंदी में अंकन होना  
पाया जाता है। वर्तमान जमाबंदी में केलाम  
गाम सहवन से दर्ज होने से रह गया है।  
इसकी पुष्टि रिपोर्ट तहसीलदार से भी हो रही है।  
अतः प्रार्थी का प्रार्थना धारा 136 UPLA  
आक्ट रिकार्ड दुरुस्ती स्वीकार किया जाता है।  
तहसीलदार नीमकाधाना को आदेश दिया जाता  
है कि गाम जहसीकाबाद का पुराना ख.नं.  
1109 रकबा 2.38 हैम्टे. जिसके नीचे खसप  
नम्बर 260, 269, 270 कित 3 रकबा 2.02  
वने है मे दर्ज खातेदार हजामत पुत्र नरसा  
काम हरिजन हिल्सा 1/2 में से 0.12 हैम्टे



हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख अहकाम  
जो इस हुकम की  
तामील में जारी हुए

भूमि प्राचीन जगदीश प्रसाद पुत्र हणमान  
प्रसाद जाति बलराई मि० जस्की कावाल  
तहसील व तिला नीमकाथाना के नाम  
पर की जाकर डुरुस्ती की जावे।

आदेश की पालना में तहसीलदार नीम-  
काथाना को तहरीर जारी हो। भिर्णय  
सरे इजलास खुनासा गमा। फत्रावली  
फैसल शुमार होकर गम्बर से कम  
होकर पफतर दाखिल हो



(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (राज.)